# अनुसूचित जातियों में बालश्रम की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 अमित मलिक*

जातियों का सम्बन्ध यहाँ की जाति व्यवस्था के नियमों से ही है। जाति व्यवस्था में जिन जातियों के लिए अपवित्र व्यवसायों के द्वारा जीविका प्राप्त करना आवश्यक था तथा जिनसे उच्च जातियाँ किसी तरह का सम्पर्क नहीं रखती थी उन्हें स्वतंत्रता से पहले तक अछूत जातियाँ कहा जाता था। महात्मा गाँधी ने समाज में ऐसी जातियों के महत्व को देखते हुए उन्हें 'हरिजन' कहना शुरू कर दिया। डॉ0 अम्बेडकर तथा ज्योतिबा फूले ने इन जातियों को 'दलित जातियाँ' कहा। मराठी भाषा में दलित का अर्थ है दबा और कुचला हुआ। इस प्रकार वे सभी जातियां जो सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक रूप से कुचली हुई थी उन्हें दलित जातियाँ कहा जाने लगा।

स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि परम्परागत रूप से जिन जातियों को माना जा रहा है उन्हें कानूनी संरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उनकी दशा में सुधार किया जा सकता है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 16.66 करोड थी। वर्तमान के अनुमानों के आधार पर यह जनसंख्या 19 करोड हो चुकी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों से सलाह करके उन जातियों की एक अनुसूची तैयार करने का अधिकार दिया गया जिन्हें सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक आधार पर सभी अधिकारों से वचित किया गया। आज उन्हीं जातियों को अनुसूचित जातियाँ कहा गया। भारत में इन अनुसूचित जातियों की अपनी अनेक समस्या रही हैं। जैसे अशिक्षा, बेकारी, अन्धविश्वास, जातीय संस्तरण में निम्न स्तर, समाज में सीमित अधिकार आदि। अनुसूचित जातियों के पास चूंकि रोजगार के विकल्प सीमित होते हैं। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के सामने खाने की समस्या पैदा हो जाती है और इसे जुटाने के लिए या तो परिवार की महिलाओं को काम करना पड़ता है। यदि महिलायें ही काम करें तो भी बच्चों के के सामने देखभाल की समस्या बनी रहती है। ऐसे में न तो उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो पाता है और आगे चलकर उनका भविष्य केवल अन्धकारमय बनकर रह जाता है और चूंकि इन जातियों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। इसी कारण इन बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर काम पर भेजा जाने लगता है और उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। समाज में इस समस्या को

* वरिष्ठ प्रवक्ता, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डी0ए0वी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर

**बालश्रम** का नाम दिया जाता है। कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था को ही इस समस्या का कारण माना जाता है।

यहाँ अनुसूचित जातियों में व्याप्त इसी समस्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है और अध्ययन को शीर्षक दिया गया है। अनुसूचित जातियों में बालश्रम की समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।

बाल श्रम का अर्थ उस श्रम अथवा मेहनत से है जो बच्चों द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि बच्चों को किस आयु के आधार पर परिभाषित किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को बच्चों के अन्तर्गत माना है। जबकि अनेक देशों में 16 वर्ष तक की आयु के लड़के–लड़कियों को बालक वर्ग में गिना जाता है। भारत में जिन कानूनों के अन्तर्गत बच्चों को किसी कारखाने अथवा उद्योग में काम करने पर प्रतिबन्ध है। उनमें बच्चों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गयी है। संविधान के द्वारा भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। श्रम का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। मेहनत तो अध्ययन और खेल में भी होती है। जब कोई मेहनत शारीरिक रूप से करने के साथ ही उसका उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है तब हम इसे श्रम कहते हैं। इस प्रकार सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि बालश्रम का अर्थ 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों द्वारा किये जाने वाले उस श्रम से है जिसका उद्देश्य मजदूरी था। वेतन के द्वारा अपना और अपने परिवार का आंशिक या पूर्ण रूप से भरण पोषण करना है।

डा0 मीनाक्षी अग्रवाल ने बाल श्रमिकों को परिभाषित करते हुए लिया है। 'बालश्रमिक 14 वर्ष तक के बे सहारा अथवा शोषित बच्चों की वह श्रेणी है जो अपने या कुछ दूसरे व्यक्तियों के लिए अजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य है तथा जिसके द्वारा किये जाने वाला श्रम अनियमित और साधारणतया गैर कानूनी होता है। सन् 1981 की जनगणना से पहली बार यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न क्षेत्रों में भारत में बालश्रमिकों की कुल संख्या 1.35 करोड है जो 14 वर्ष तक की आयु के कुल बच्चों का 7. 58 प्रतिशत है। योजना आयोग ने सन् 1991 में बाल श्रमिकों की संख्या 1. 70 करोड स्वीकार की लेकिन अनेक दूसरे शोध कार्यों से यहां तक निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि आज भारत में बालश्रमिकों की संख्या 4 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह सभी बच्चे वे हैं जो शिक्षा और अन्य अधिकारों से पूरी तरह वंचित रहकर एक गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं।'

इस अध्यन में यह जानने का प्रयास किया गया कि बाल श्रमिक किस तरह की मजदूरी करते हैं। दैनिक या बंधुआ। वे मजदूरी में मिले पैसों का क्या करते हैं। वे मजदूरी क्यों करते हैं। मजदूरी से कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा अपनी इस स्थिति के लिए आप किसे

जिम्मेदार मानते हैं तथा क्या बाल श्रमिकों को बालश्रम रोकने वाले कानूनो की जानकारी है तथा क्या बालश्रमिक अपनी इस स्थिति से संतुष्ट हैं तथा क्या कुछ बालश्रमिक पढ़ने भी जाते हैं ?

उपरोक्त प्रश्नों का अध्ययन उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के गुरूकुल गांव में किया गया है, जिसमें 315 परिवार हैं। इस गांव में लगभग सभी व्यवसाय उपलब्ध हैं। यहां से बालश्रम करने वाले 41 बच्चों को अध्ययन के लिए चुना गया। यह अन्वेषणात्मक अध्ययन 2014 में किया गया। अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार को बालश्रमिकों से सूचना प्राप्त करने में मुख्य तकनीक के रूप में प्रयोग किया गया है। गांव सम्बन्धित आंकड़े विवरण, रिकार्ड, वोटर लिस्ट आदि से प्राप्त किये गए हैं।

गुरूकुल नारसन जनसंख्या के लिहाज से गांव है, जबकि यहां पर एक विकसित बाजार है तथा मुख्य शिक्षा केन्द्र है। यह दिल्ली–हरिद्वार रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–58) पर रुडकी से 18 किमी0 पहले स्थित है।

## निष्कर्ष

1. धर्म के आधार पर हिन्दू बालश्रमिकों की संख्या 34 तथा मुस्लिम बालश्रमिकों की संख्या 7 है।
2. 41 बालश्रमिकों में से 13 बालश्रमिक साक्षर तथा 28 निरक्षर हैं। अतः अधिकतर बालश्रमिक अशिक्षित हैं।
3. 62 प्रतिशत बालश्रमिों के पास आवास की सुविधा उपलब्ध है।
4. 75 प्रतिशत बालश्रमिक संयुक्त परिवारों से सम्बन्धित हैं।
5. बालश्रम करने वाले बालश्रमिकों में से 74 प्रतिशत बालश्रमिक दैनिक मजदूरी करते हैं।
6. बालश्रम करने वाला कोई भी श्रमिक पढ़ने नहीं जाता है।
7. 42 प्रतिशत बालश्रमिक घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण श्रम करते हैं, जबकि 36 प्रतिशत बालश्रमिकों के यहां और कोई काम करने वाला नहीं है।
8. 81 प्रतिशत बालश्रमिक अपनी मजदूरी के रुपये परिवार के मुखिया को देते हैं, जबकि 19 प्रतिशत बालश्रमिक मजदूरी के रुपये अपने ऊपर ही खर्च करते हैं।
9. बालश्रम करने वाले बालश्रमिक अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं।
10. बालश्रम करने वाले 52 प्रतिशत श्रमिक अपनी इस स्थिति के लिए समाज तथा परिवार दोनों को उत्तरदायी मानते हैं, जबकि 24 प्रतिशत व 24 प्रतिशत समाज को जिम्मेदार मानते हैं।
11. बालश्रमिकों के अनुसार 27 प्रतिशत बालश्रमिकों को बालश्रम रोकने वाले कानूनों की जानकारी है, जबकि 73 प्रतिशत बालश्रमिकों को ऐसे कानूनों की जानकारी नहीं है।

## संदर्भ सूची

1. जैन महावीर, पूर्वोवत्त पृ0 23
2. चेतना (पत्रिका) 'बाल उन्मूलन समिति' आगरा 2007ए पृ010
3. केवलरमानी, सी0एस0 2008 : 'चाइल्ड एब्यूज सामाजिक समस्यायें', रावत पब्लिकेशन, पृ0 219–224
4. द्विवेदी एम0एम0 एवं त्रिपाठी, प्रतिभा, 'बाल श्रमिक सामाजिक आयाम, राधाकमल मुखर्जी : चिंतन परम्परा, वर्ष 1 अंक 1 पृ0 62
5. त्रिपाठी, राकेशपंत 2006 : 'बालश्रम के लिए आवश्यकता है वैकल्पिक रोजगार नेशनल जनरल'
6. आहूजा, राम, 'बाल दुर्व्यवहार और बालश्रम' सामाजिक समस्यायें : रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ0 232
7. जैन महावीर, बालश्रम सम्पूर्ण उन्मूलन, मानक पब्लिकेशन्स–2007, पृ0 21

****